

2024/141

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
सुनील कुमार बनाम स्टेट व अन्य
अपील प्रकरण सं० 5/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :- राजवीर सिंह

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
24.09.2024	<p>अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वारंते बहरा स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2024 को पेश हो।</p> <p>अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहरा पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 4 एवं 5/1 ता 5/3 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक तहसील पदमपुर के चक 30 बीबी के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 2.783 हैक्टर कृषि भूमि की मौका की यथास्थितिसण बनाये रखें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वारंते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 16.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">यति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)</p>	<p>1610-1616 26/9/24</p>
8.10.2024	<p>अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 02 ता 05 का आपस में राजीनामा हो गया है। इसलिए अपीलान्त वर्तमान अपील को आगे न चलाकर अपील को दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी अपील में आयन्दा कोई सुनवाई न कर अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश प्रदान करें।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंटस का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा उक्त अपील को आगे न चलाकर दाखिल दफ्तर करवाने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार, पदमपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर</p>	<p>Sumit 8-10-24 Identified by 8/10/24 (Rajvir Singh)</p>